

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....30.Z.....197 6-77

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीपद्मिनी कृष्ण चोथान, जयपुर  
जिला जयपुर का  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान  
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण धाज किया  
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से श्राज  
दिनांक गठारस माह गम्भूर सन् एक हजार नौ सौ छिहतर को  
जयपुर में दिया गया।



संख्या 107/111  
(सं० स्त० भटनागर)

रजिस्ट्रार संस्थाएँ, राजस्थान,  
हर जयपुर।

राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।



“दीपशिखा” (कला संस्थान) जयपुर।  
विधान

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम “दीपशिखा” (कला संस्थान) जयपुर है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय अंशु भवन, पीतल फ़ैक्ट्री, चौराहा जयपुर में रहेगा एवं तत्कालीन समिति समय समय पर जो स्थान निर्धारित करेगी वही रहेगा।
3. संस्था का उद्देश्य :
  - (अ) साहित्यिक :  
काव्य, गद्य, कहानी, गोष्ठी, सम्मेलन, बुलाना, एवं सम्बन्धित प्रकाशन करना।  
(1) वाद विवाद, कहानी, कविता, नाटक संगीत कला प्रतियोगिता करवाना व प्रशिक्षण देना।
  - (ब) सांस्कृतिक क्षेत्र में :  
संगीत प्रतियोगिता करवाना, प्रशिक्षण देना, कटपुतली प्रदर्शन करना, प्रशिक्षण देना। संगीत, नाटक, नृत्य कला विधाओं का विकास, शिक्षा एवं शैक्षिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था करना।  
ख्याति प्राप्त संगीतकार नृत्यकार विद्वान का सम्मान करना व प्रदर्शन आयोजन करना।
  - (स) ललित कला के क्षेत्र में :  
चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, प्लास्टिक, कला इत्यादि की प्रतियोगिता करवाना, प्रदर्शन करवाना व प्रशिक्षण देना।



५५७२/५

यू.यू.जी.ए.ए.

Arjun



(य) विविध :

ख्याति प्राप्त विद्वानों की भाषण मालायें आयोजित करवाना। नई प्रतिभाओं को रंगमंच व कला दीर्घा व स्टेज उपलब्ध करवाना।

(र) योग के क्षेत्र में :-

भारतीय योग प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में विकास कार्य करना, रुचि बढ़ाना, प्रशिक्षण संस्था स्थापित करना व चलाना।

ल) शैक्षणिक क्षेत्र में :-

इस संस्था का कार्य सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय (बालक या बालिकाओं), उद्योग प्रशिक्षण संस्थानों, (आई.टी. आई., पोलोटेक्निक, इंजीनियरिंग) चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, डेन्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कोर्स, व शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना। शैक्षणिक व अन्य विषयों पर शोध करना।

व) सेवा प्रकृति के क्षेत्र में :-

समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण की खेल-की विभिन्न प्रवृत्तियों के लिये कार्य करना व सेवा के क्षेत्र में सरकार व जनता के सहयोग से दुखी एवं पीड़ित तथा विकलांग आदि सभी वर्गों व जातियों व धर्मों की बिना भेदभाव के सेवा करना।

4. सदस्यता :

(अ) कोई भी व्यक्ति जिसको संस्था के उद्देश्यों में आस्था हो, वह इस संस्था का सदस्य बन सकता है।

(आ) संस्था की सदस्यता का शुल्क 10)रु. वार्षिक होगा जिसको आवश्यकतानुसार कार्यसमिति घटा बढ़ा सकती है।

5. सदस्यता विमोचन :

(अ) नियमित शुल्क न जमा कराने पर सदस्यता निरस्त की जा सकेगी।

पुष्पलाल

अनु

5/12/14

(आ) बिना पूर्व सूचना के दो कार्यक्रमों (या मीटिंगों) में लगातार अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता निरस्त की जावेगी।

(ई) संस्था के नियमों का उल्लंघन करने अथवा संस्था विरोधी कार्यवाही में शामिल होने वाले सदस्य को भी सदस्यता से हटाया जा सकेगा।

5. ए) सम्पदा प्रबन्धन :

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थाई, अस्थाई संपत्ति कय करना, निर्माण कार्य करना व इस हेतु वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना व आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थानों के नियमों के अनुसार संपदा को गिरवी रखना।

6. पदाधिकारी :

संस्था के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

|               |    |
|---------------|----|
| 1. संयोजक     | एक |
| 2. अध्यक्ष    | एक |
| 3. उपाध्यक्ष  | एक |
| 4. कोषाध्यक्ष | एक |
| 5. मंत्री     | एक |
| 6. सहमंत्री   | दो |
| 7. उपाध्यक्ष  | दो |

7. कार्यसमिति :

(अ) कार्यसमिति में पदाधिकारियों के अलावा आठ और सदस्य होंगे। कार्यसमिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जिसे आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सकेगा।

(आ) कार्य समिति का चयन साधारण सदस्यों में से किया जावेगा।

8. कार्यसमिति के कर्तव्य एवं अधिकार :-

- (1) समय समय पर संस्था द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा बनाना।
- (2) आवश्यकतानुसार उपसमितियां गठित करना।
- (3) संस्था के लिए समितियां एवं उपसमिति के लिये नियम, उपनियम बनाना।

पुनर्विचार

पुनर्विचार

अनुप

- (4) बैंक आदि में खाता आदि खोलने सम्बन्धी निर्णय लेना।
- (5) आय व्यय की उचित व्यवस्था बनाये रखना।
- (6) वार्षिक कार्यक्रम एवं बजट आदि बनाना।
- (7) आवश्यकता पड़ने पर राजकीय कार्यालयों, अदालतों के आदि के लिए जिम्मेदारी सौंपना।
- (8) किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को संस्था संरक्षक या सलाहकार मनोनित करना।
- (9) अध्यक्ष के अलावा कार्यसमिति के किसी भी सदस्य के प्रति 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकेगी।

9. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (अ) परिषद (संस्था) के साधारण सदन तथा काग्रेससमिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (आ) विधान के नियमों की व्याख्या करना, निर्णय देना तथा वैधानिक आपत्तियों को निपटाना।
- (इ) परिषद संस्था की प्रवृत्तियों का उत्तरदायित्व निभाना।
- (ई) पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति के सदस्यों को मनोनित एवं निष्कासित करना।



10. मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (1) संस्था की बैठकों का कार्य-विवरण रजिस्टर में लिपिबद्ध करना तथा अगली मीटिंग में उसकी पुष्टि करना।
- (2) संस्था के कार्यों का सम्पादन करने के लिए संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- (3) संस्था की ओर से पत्र-व्यवहार करना। कार्यालय एवं फाईलों को सुरक्षित रखना।

५७/१५

गुणवती/१५

१५/१५

(4) संस्था के लिए सामान खरीदना अथवा बेचना  
अथवा बनवाना।

(5) आवश्यकता पड़ने अस्थाई कर्मचारी रखना।

(6) वार्षिक बजट, वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक रिपोर्ट  
कार्य समिति में पास करवाना।

(7) मीटिंग बुलाना, सूचना निकालना, कार्यक्रम बनाना,  
कार्यसूचि बनाना।

(8) प्रस्ताव आदि सदन में रखना।

(9) बजट के अनुसार बिलों और वाऊचरों का भुगतान  
करना।

11. उपाध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकार।

12. सहमंत्री के अधिकार :

मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री के अधिकार

13. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :



अ) संस्था का विधिवत् हिसाब रखना।  
ब) बजट के अनुसार मंत्री द्वारा पास किये गये  
बिलों का भुगतान करना।  
स) संस्था का हिसाब (जॉच शुदा) वार्षिक आय व्यय  
का हिसाब सदन में रखना।

14. संयोजक के अधिकार एवं कर्तव्य :

यह केवल सम्मानजनक पद होगा। इसके कोई  
अधिकार व कर्तव्य नहीं होंगे।

15. विविध :

(अ) संविधान संशोधन :

कार्य समिति के 3/4 बहुमत से ही संविधान में

यह जल

युद्धोदी

अनुप

परिवर्तन या परिवर्धन संभव है तथा समस्त संशोधन राज.सोसा. एक्ट 1958 की धारा 12 के अनुसार होंगे।

(ब) संस्था का विघटन :

संस्था का विघटन राजस्थान सोसायटीज एक्ट 1958 की धारा नम्बर 13 और 14 के तहत होगा।



(स) सोसायटीज के रजिस्ट्रार के अधिकार :  
रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज को परिषद का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। और उनके सुझावों को कार्यरूप में परिणत किया जायेगा।

हम पदाधिकारी प्रमाणित करते हैं कि उपयुक्त नियम उपनियम संस्था के नियमों की सही प्रति है।

*पुनर्गाम*  
अध्यक्ष

*पुष्पबीराम*  
उपाध्यक्ष

*Bruno*  
मंत्री



राजस्थान सोसायटीज अधिनियम 1958

यह संस्था राजस्थान सोसायटीज अधिनियम 1958 के तहत गठित है। यह संस्था निम्नलिखित धाराओं के तहत गठित की गई है।  
पृष्ठ नं०..... सं०.....  
तक है।

1. संस्था के नाम को लिखें 2/1/5/04
2. संस्था के पता को लिखें

वाले के हस्ताक्षर



# DEEPSHIKHA KALA SANSTHAN

www.deepshikha.org

REGISTERED UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT  
BEARING REGISTRATION NO. 308/76-77 DATED 28/10/76

Ref. No. ....


Dated 11/10/14

आज दिनांक 11 अक्टूबर 2014 को दीपशिखा कला संस्थान जयपुर की साधारण सभा द्वारा विधान में संशोधन किया गया है उसका तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न है :-

### तुलनात्मक स्टेटमेंट

| क्रम स. | विधान की धारा          | पंजीकृत विधान के पुराने नियम   | विधान में संशोधित नए जोड़े गए नियम |
|---------|------------------------|--|------------------------------------|
| 1.      | 3. संस्था का उद्देश्य: | <p>(अ) साहित्यिक:</p> <p>(1) काव्य, गद्य, कहानी, गोष्ठी, सम्मेलन, बुलाना, एवं सम्बंधित प्रकाशन करना।</p> <p>(2) वाद विवाद, कहानी, कविता, नाटक संगीत कला प्रतियोगिता करवाना व प्रशिक्षण देना।</p> <p>(ब) सांस्कृतिक क्षेत्र में:</p> <p>(1) संगीत प्रतियोगिता करवाना प्रशिक्षण देना, कटपुतली प्रदर्शन करना, प्रशिक्षण देना। संगीत, नाटक, नृत्य, कला विधाओं का विकास, शिक्षा एवं शैक्षिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था करना।</p> <p>(2) ह्याति प्राप्त संगीतकार नृत्यकार विद्वान का सम्मान करना व प्रदर्शन आयोजन करना।</p> <p>(स) ललित कला के क्षेत्र में:</p> <p>चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, प्लास्टिक कला इत्यादि की</p> | .....<br>.....<br>.....            |

  
अंशु सुराणा  
(अध्यक्ष)

  
चन्द्रकांत दुरगड  
(सचिव)

  
अमित जैन  
(कोषाध्यक्ष)



DEEPSHIKHA  
KALA SANSTHAN  
www.deepshikha.org

Regd. Office : Sector 3, Varun Path, Mansarovar, Jaipur - 302 020 (Raj.)

PH : (0141) - 4098900, 8875005454, 9829867878, Fax : 0141-2206436, 8880632836

Email : info@deepshikha.org • www.deepshikha.org

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>(ग) अल्पसंख्यक के क्षेत्र में :-<br/>अल्पसंख्यक के विकास हेतु सभी तरह की शिक्षण संस्थान, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कृषि, पशुपालन, बी. एस. सी., इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मेडिसिन, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, पशुचिकित्सक व अन्य सभी तरह की मेडिकल शिक्षा खोलना। रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना।</p> <p>(घ) कौशल विकास के क्षेत्र में :-<br/>कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास व राज्य कौशल विकास ऐन. सी. वी. टी., एस. सी. वी. टी. इ. व सरकारी, अर्धसरकारी व निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री में मैन पावर विकास हेतु एम्प्लॉयमेंट हेतु व्यावसायिक शिक्षा, जीवनपयोगी शिक्षा, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण संस्थान कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलना, रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना।</p> <p>(च) खेलों के क्षेत्र में :-<br/>खेलों (स्पोर्ट्स) हेतु विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, खेल परिसरों, होस्टलों की स्थापना करना। रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना।</p> |
|  | <p><u>राज. सस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958</u><br/>की धारा 19 के तहत<br/>यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्थ<br/>विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो<br/>पृष्ठ सं. ....136.... से पृष्ठ सं. ....139....<br/>तक है, की सत्यप्रति है।<br/>1 नकल देने की दिनांक 7/1/15<br/>2 नकल तैयार करने<br/>वाले के हस्ताक्षर</p> | <p><i>[Signature]</i><br/>रजिस्ट्रार सस्थाएं<br/>जयपुर</p>  |

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं की संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

*[Signature]*  
अशु सुराणा  
(अध्यक्ष)

*[Signature]*  
चन्द्रकांत दुग्गड  
(सचिव)

*[Signature]*  
अमित जैन  
(कोषाध्यक्ष)

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>(व) सेवा प्रकृति के क्षेत्र में :-<br/>समाज कल्याण ,महिला कल्याण एवं बाल कल्याण की खेल की विभिन्न प्रवृत्तियों के लिए कार्य करना व सेवा के क्षेत्र में सरकार व जनता के सहयोग से दुखी एवं पीड़ित तथा विकलांग आदि सभी वर्गों व जातियों व धर्मों के बिना भेदभाव के सेवा करना ।</p> <p>(श) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में :-<br/>ग्रामीण विकास ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण प्रशिक्षण ग्रामीण विकास संस्थान कॉलेज ,विश्वविद्यालय की स्थापना ,ग्रामीण सेवा से सम्बंधित कार्य करना ।</p> | <p>(क) कृषि के क्षेत्र में :-<br/>कृषि के क्षेत्र में कृषि पशुपालन , खाद्य , प्रसंस्करण विद्यालय , कॉलेज व विश्वविद्यालय की स्थापना करना । रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना ।</p> <p>(ख) समाज के उपेक्षित वर्ग क्षेत्र में :-<br/>समाज के उपेक्षित वर्ग क्षेत्र में एस. सी / एस. टी. / अल्पसंख्यक / विकलांग , ओ. बी. सी. इत्यादि के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष शिक्षा देना । विकास हेतु विशेष शिक्षा देना । कोचिंग सेंटर्स / कॉलेज / विश्वविद्यालय खोलना / रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना ।</p> |
|--|---|---|



*Anshu*  
अंशु सुराणा  
(अध्यक्ष)

*चन्द्रकांत*  
चन्द्रकांत दुरगड  
(सचिव)

*अमित*  
अमित जैन  
(कोषाध्यक्ष)

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>प्रतियोगिता करवाना ,प्रदर्शन करवाना व प्रशिक्षण देना ।</p> <p><b>(य) विविध :</b><br/>ख्याति प्राप्त विद्वानो की भाषण मालाये आयोजित करवाना ।नई प्रतिमाओ को रंगमंच व कला दीर्घा व स्टैज उपलब्ध करवाना ।</p> <p><b>(र) योग के क्षेत्र मे :-</b><br/>भारतीय योग प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध मे विकास कार्य करना रुचि बढ़ाना ,प्रशिक्षण संस्था स्थापित करना व चलाना ।</p> <p><b>(ल) शैक्षणिक क्षेत्र मे :-</b><br/>इस संस्था का कार्य सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओ स्कूल कॉलेज , विश्वविद्यालय (बालक या बालिकाओ ),उद्योग प्रशिक्षण संस्थानों ,(आई.टी.आई,पोलोटैक्निक इंजीनियरिंग ) चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान ,नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान डेन्टल कॉलेज मेडिकल कॉलेज ,पैरामेडिकल कोर्स ,व शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना । शैक्षणिक व अन्य विषयो पर शोध करना ।</p> | <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> |
|--|---|---|



*Anshu*  
अशु सुराणा  
(अध्यक्ष)

*चन्द्रकांत*  
चन्द्रकांत दुग्गड  
(सचिव)

*Ajain*  
अमित जैन  
(कोषाध्यक्ष)



# Deepshikha Kala Sansthan

(Registered Under Societies Registration Act, Bearing Registration No. 307/76-77 Dated - 28/10/79)

तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं | विधान की धारा संख्या | पंजीकृत विधान का नियम   | विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)   |
|---------|----------------------|---|--|
| 1       | 2                    | अंशु भवन,<br>पीतल फैक्ट्री<br>चौराहा,<br>झोटवाडा रोड<br>जयपुर में<br>रहेगा। | संस्था का कार्यक्षेत्र :<br>संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान रहेगा।  |
| 2       | 3                    | 1 से 15 तक<br>के उद्देश्य<br>यथावत रहेंगे।                                  | जोड़े गये उद्देश्य<br>(श) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में<br>ग्रामीण विकास, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास संस्थान / कॉलेज / विश्वविद्यालय की स्थापना, ग्रामीणों की सेवा से संबंधित कार्य करना। |

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में संशोधन संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

*प्रीम सुसणा*  
(प्रीम सुसणा)  
अध्यक्ष

*चन्द्रकांत*  
(चन्द्रकांत)  
मंत्री

*5-12-01*  
*Ant*  
जिस्ट्रा संस्था  
जयपुर  
(टीना)  
कोषाध्यक्ष

Reg. Office. : 'Anshu Bhawan', Peetal Factory Crossing, Opp. Tambi Petrol Pump, Jhotwara Road, Jaipur - 302016, (Rajasthan) Ph: (0141) - 2202684, 2206479, Fax : (0141) - 2206436 E-mail : info@deepshikha.org, Website : www.deepshikha.org



# DEEPSHIKHA KALA SANSTHAN

(REGISTERED UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT, BEARING REGISTRATION NO. 308/76-77 DATED 28/10/76)

Regd. Office : Sector-3, Varun Path, Mansarovar, Jaipur (Rajasthan), Ph.: 0141-2390146, 4098900, Fax: 0141-2205436

तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | विधान की धारा संख्या | पंजीकृत विधान का नियम  | विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)   |
|----------|----------------------|--|--|
| 1        | 2                    | अंशु भवन,<br>पीतल फैक्ट्री<br>चौराह,<br>झोटवाडा रोड<br>जयपुर में<br>रहेगा। | <u>संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय</u><br><br>दीपशिखा कला संस्थान का पंजीकृत कार्यालय<br><br>सैक्टर नं 3, वरुण पथ, मानसरोवर मे रहेगा। |

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

*यहोराय*  
(प्रेम सुराणा)  
अध्यक्ष

*चन्द्रकांत*  
(चन्द्रकांत)  
मंत्री

*Tina*  
(टीना)  
कोषाध्यक्ष

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958

की धारा 19 के तहत

पेश किया जाता है कि यह लक्ष्य  
यादिलक करतये गये दस्तावेज को  
से पृष्ठ 4  
की सत्यप्रति है।  
जन हेतु की दिनांक 14.2.08  
कम तैयार करने  
के हस्ताक्षर

*36*  
जायपुर



# DEEPSHIKHA KALA SANSTHAN

(REGISTERED UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT, BEARING REGISTRATION NO. 308/76-77 DATED 28/10/76)

Regd. Office : Sector-3, Varun Path, Mansarovar, Jaipur (Rajasthan), Ph.: 0141-2390146, 4098900, Fax: 0141-2205436

तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | विधान की धारा संख्या | पंजीकृत विधान का नियम  | विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)   |
|----------|----------------------|--|--|
| 1        | 2                    | अंशु भवन,<br>पीतल फैक्ट्री<br>चौराह,<br>झोटवाडा रोड<br>जयपुर में<br>रहेगा। | <u>संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय</u><br><br>दीपशिखा कला संस्थान का पंजीकृत कार्यालय<br><br>सैक्टर नं 3, वरुण पथ, मानसरोवर मे रहेगा। |

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

5/10/14  
(पेम सुराणा)  
अध्यक्ष

(चन्द्रकांत)  
मंत्री

(टीना)  
कोषाध्यक्ष

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958

की धारा 19 के तहत

पेश किया जाता है कि यह लघु  
परिवर्तन करने वाले दस्तावेज को  
से पृष्ठ 4  
की संख्या है।  
जिसके दिनांक 14.2.08  
को तैयार करने  
के हस्ताक्षर

36  
जयपुर